

2018/01/19

2000  
A

प्रपत्र-6

**"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"**  
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

प्रफल सं 34/18  
16-5-18

सेवा

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम नेहरो श नला की जमाबन्दी

संवत् 2013-76 खाता संख्या 18 में :-

गांव नेहरो श नला के खेत खतरा 260, 481/261 <sup>481</sup>/<sub>261</sub>  
के पुरा नाम विमगाण पुत्र सागन दर्ज है, जबकि पुरा  
सही नाम कृष्ण कुमार है। सही करने का आदेश मा(पा)के।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक : 14/5/18

एम सुजीयत / कुमार, कुमार  
गांव 260 एल्फेट प्लाने कर्मा 180  
कृष्ण कुमार (क) गड एकारे 14  
कार्ड 261 के कार्ड 261 (क) 261  
पुरा नाम के कार्ड 261 (क) 261  
कृष्ण कुमार (क) 261 (क) 261  
1-9/5/18 कुमाराराम कृष्ण कुमार

कुमाराराम  
कृष्ण कुमार

कुमाराराम  
कृष्ण कुमार

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान प्रार्थी श्री कृष्ण कुमार का ग्राहक नेहरो का नया का  
खण्ड 260 पहा/261, पहा/261 में कृष्ण नाम किराना (क) फार्म  
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा आधार कार्ड (2334 64097)  
राशन कार्ड (00119) कृष्ण कुमार कृष्ण नाम कृष्ण कुमार विना गीत  
उल्लिखित है

 14/5/18  14/5/18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

सम. पटवारी सेडवा सेडवा 1502 सेडवा की रिपोर्ट कृष्ण कुमार प्रार्थी कृष्ण कुमार  
का ग्राहक नेहरो का नया का खण्ड 260 पहा/261 में कृष्ण नाम किराना (क) फार्म  
कृष्ण नाम किराना (क) फार्म प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा आधार कार्ड (2334 64097)  
राशन कार्ड (00119) कृष्ण कुमार कृष्ण नाम कृष्ण कुमार विना गीत  
उल्लिखित है

 14/5/18  
तहसीलदार (प. अ.) सेडवा

आदेश

तहसीलदार सेडवा, ILR सेडवा, पटवारी सेडवा से प्रार्थी का रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों  
के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का  
नाम "किसनाराय" के स्थान पर कृष्ण नाम कृष्ण कुमार  
दुरस्त कले का छोड़ दिया जाता है। उपरोक्तानुसार  
राजस्व रिकॉर्ड में अमल दशमद कले का तहसीलदार  
सेडवा को छोड़ दिया जाता है। पत्रावली फसल  
कुमार होकर दाखिल दाखिल दफ्तर हो।  
उप खण्ड अधिकारी



  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन